<u>प्रेस नोट</u>

दीव के सभी बैंकों एवं एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम

पुलिस अधीक्षक, दीव से प्राप्त जानकारी के अनुसार - बेंगलूर में एटीएम दुर्घटना और हाल ही में अहमदावाद शहर में जेसीबी द्वारा पूरे एटीएम मशीन को हड़प लेने की घटना के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि दीव जिला में भी कुछ समाज-विरोधी तत्वों द्वारा बैंकों / एटीएम में लूट / हमला किया जा सकता है । इससे आम जनता की शांति और सौहार्द भंग हो सकता है एवं लोगों की संपत्ति व सुरक्षा को हानि पहुँच सकती है ।

दीव जिला के सरकारी एवं प्राइवेट बैंक तथा उनके एटीएम में 24 घण्टे सशस्त्र गार्ड तैनात नहीं होने के कारण बैंकों एवं एटीएम के उचित रख-रखाव व संचालन में रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन हो रहा है ।

इसलिए दीव जिला स्थित सभी बैंकों को आदेश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से 24 घण्टे सशस्त्र गार्ड तैनात करें । किसी सरकारी एवं प्राइवेट बैंक द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर भारतीय पैनल कोड़ की धारा-188 के तहत दण्डविधान किया जाएगा ।